

# Order Sheet [Contd]

Case No 135/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-04-2017	<p>आवेदकगण/आरोपीगण श्रीमती सज्जाबाई व जाहरसिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 375/16 धारा 304बी, 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>अधीनस्थ जे0एम0एफ0सी न्यायालय गोहद श्री ए0के0गुप्ता न्यायालय से रिमाण्ड पत्रावलि अप0क0 375/16 प्राप्त, जिसके अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण आज दिनांक 13.04.17 को न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और वह न्यायिक अभिरक्षा में हैं।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उनके द्वारा मृत्तिका से किसी प्रकार से किसी भी दहेज की मांग नहीं की है। आवेदकगण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2017 को अग्रिम जमानत पर मुक्त कर 60 दिवस के अंदर नियमित जमानत कराने पेश करने बावत् निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के तारतम्य में वर्तमान नियमित जमानत आवेदनपत्र पेश किया गया है। आवेदकगण ग्राम अन्नाईच तहसील गोहद जिला भिण्ड के स्थाई निवासी हैं। वह नियमित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे। उचित जमानत मुचलके पर मुक्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्तगण मृत्तिका से प्रथक निवास करते थे, उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है। आवेदिका सज्जो बाई 65 वर्षीय वृद्ध महिला है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों ही आवेदकगण</p>	

को अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किए गए और प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर दहेज के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त सज्जोबाई को एम.सी. आर.सी. क्रमांक 1072/17 आदेश दिनांक 16.03.17 एवं जाहरसिंह को एम. सी.आर.सी. क्रमांक 1071/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 में बचाव पक्ष की ओर से लिए गए इन तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए कि वह दोनों मृत्तिका से प्रथक निवास करते थे और मृत्तिका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है और मृत्तिका के परिवार वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं, पर विचार करते हुए दोनों को 60 दिवस की अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने के आदेश प्रदान किए थे।

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक/अभियुक्तगण की शेष अनुसंधान के लिए आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। आवेदक/अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप माननीय उच्च न्यायालय एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1072/17 एवं 1071/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 में पारित आदेश एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक की ओर से क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 25000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश हो तो उन्हें इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

1. आरोपीगण विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगे।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
3. प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग करेंगे।
4. जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेंगे।

आदेश की प्रति रिमाण्ड पत्रावलि के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)